



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल  
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DIVISION  
अण्डमान लोक निर्माण विभाग, पोर्ट ब्लेयर  
A.P.W.D., PROTHRAPUR

प्रातरापूर, दिनांक / /2017

कार्यालय आदेश सं.

श्रम प्रभार के रूप में 200रू जमा करने के अपेक्षित शर्त के आभार पर ही व्यक्तिगत जल टेप कनेक्शन उपलब्ध होगा, निम्नलिखित व्यक्ति(यों) जिनके विवरण उनके नाम के सामने दिया गया है, उनको 1/2" (आधा ईन्च) का जल टेप कनेक्शन देने के लिए एतद्वारा कनेक्शन प्रदान की जाती है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर श्रम प्रभार के रूप में 200रू (रूपया.दो सौ मात्र) की अग्रिम राशि जमा करें। राशि इस कार्यालय के रोकड़िया के पास किसी भी कार्य दिवस में (प्रत्येक माह के 1-25 तक) जमा करें टेप कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता को मूल रसीद उपलब्ध कराना होगा। भार-साधक अभियंता द्वारा निश्चित किए गए दिवस पर जल टेप कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले स्थान पर संबंधित व्यक्ति को उपस्थित रहना होगा।

क.सं.	नाम	ग्राम सर्वक्षण सं	तिथि, जब कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक अभियंता द्वारा भरा जाए
1.	Smt. ,W/o. , (F.No. )		

कार्यपालक अभियंता  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल  
अ.लो.नि.वि. प्रातरापूर,  
(आय.डब्ल्यू.टी.सी/एफ.ओ/पी.एच.ई.डी./2017.18)

कार्यालय आदेश पुस्तिका

प्रतिलिपि :-

- संबंधित भारसाधक अभियंता- I से अनुरोध है कि वे उल्लेखानुसार उनके परिसर में उन्हें आवश्यक कनेक्शन उपलब्ध कराएँ तथा कनेक्शन उपलब्ध कराई गई तिथि रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि तथा बिल तैयार करने आदि का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में रिपोर्ट भेजें। संबंधित व्यक्ति की पहचान के लिए कनेक्शन देने से पूर्व इस कार्यालय द्वारा जारी मूल रसीद देखें।
- मण्डलीय लेखाकर, रोकड़िया, लो.स्वा.अभि.म., अ.लो.नि.वि. प्रातरापूर, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

कार्यपालक अभियंता  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल  
अ.लो.नि.वि. प्रातरापूर



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल  
अण्डमान लोक निर्माण विभाग

पॉट ब्लेयर, दिनांक

2017.

कार्यालय आदेश सं.

श्रम प्रभार के रूप में 200रु. जमा करने के अपेक्षित शर्त के आधार पर ही व्यक्तिगत जल टेप कनेक्शन उपलब्ध होगा, निम्नलिखित व्यक्ति(यों) जिनके विवरण उनके नाम के सामने दिया गया है, को 1/2 " (आधा ईन्च) का जल टेप कनेक्शन देने के लिए एतद्वारा कनेक्शन प्रदान की जाती है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर श्रम प्रभार के रूप में 200रु. (रूपया.दो सौ मात्र) की अग्रिम राशि जमा करें। राशि इस कार्यालय के रोकड़िया के पास किसी भी कार्य दिवस में (प्रत्येक माह के 1-25 तक) जमा करें तथा रसीद प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा। व्यक्तिगत जल टेप कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता को मूल रसीद उपलब्ध कराना होगा। भार-साधक अभियंता द्वारा निश्चित किए गए दिवस पर जल टेप कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले स्थान पर संबंधित व्यक्ति को उपस्थित रहना होगा।

क्र.सं.	नाम	ग्राम सर्वेक्षण सं	तिथि, जब कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक अभियंता द्वारा भरा जाए
01	Shri. ,S/o. (F.No. )	,	

“इसके अतिरिक्त इस जल टेप कनेक्शन का आदेश इस शर्त पर निर्भर होगा कि जल टेप कनेक्शन की मंजूरी की वजह से उनके जमीन संपत्ती की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।”

कार्यपालक अभियंता  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल  
अं.लो.नि.वि., प्रातरापूर  
(आय.डब्ल्यू.टी.सी/एफ.ओ/पी.एच.ई.डी./2016-17)

प्रतिलिपि:-

कार्यालय आदेश पुस्तिका

1. संबंधित भारसाधक अभियंता-IV से अनुरोध है कि वे उल्लेखानुसार उनके परिसर में उन्हें आवश्यक कनेक्शन उपलब्ध कराएँ तथा कनेक्शन उपलब्ध कराई गई तिथि रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि तथा बिल तैयार करने आदि का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में रिपोर्ट भेजें। संबंधित व्यक्ति की पहचान के लिए कनेक्शन देने से पूर्व इस कार्यालय द्वारा जारी मूल रसीद देखें।
2. सहायक लेखा अधिकारी,, लो.स्वा.अभि.म., अ.लो.नि.वि., प्रातरापूर, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

कार्यपालक अभियंता  
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल  
अं.लो.नि.वि., प्रातरापूर